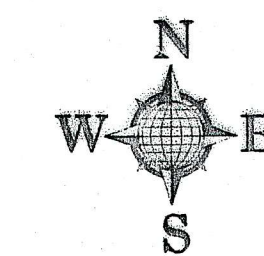


PROPOSED LAY OUT PLAN OF "GOKUL AURA"

IN KHASRA NO.- 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 896, 899.
AT VILL.- SAWAI JAISINGHPURA URF BAS BILWA, TEH:- SANGANER, JAIPUR

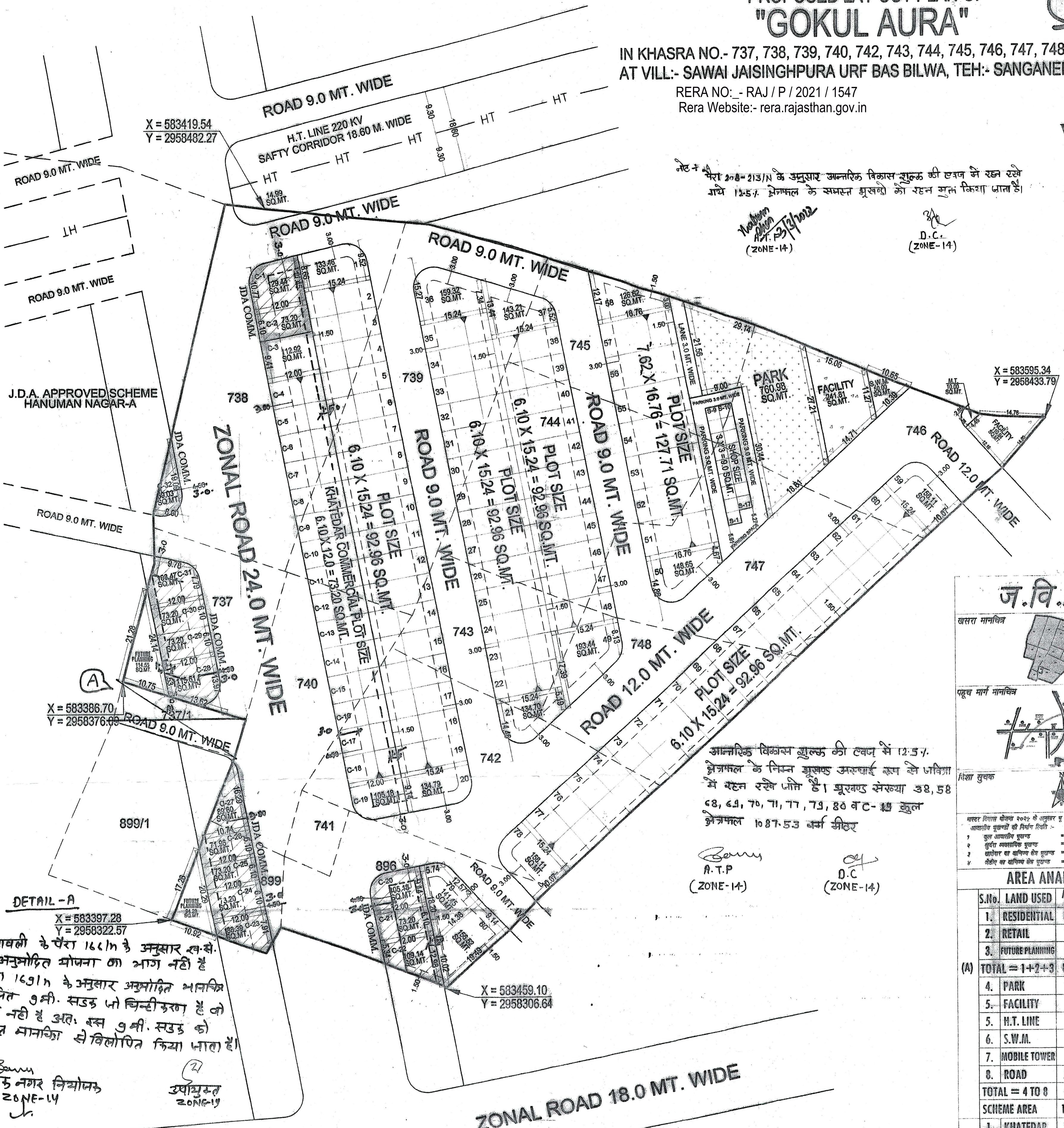
RERA NO:- RAJ / P / 2021 / 1547
Rera Website:- rera.rajasthan.gov.in



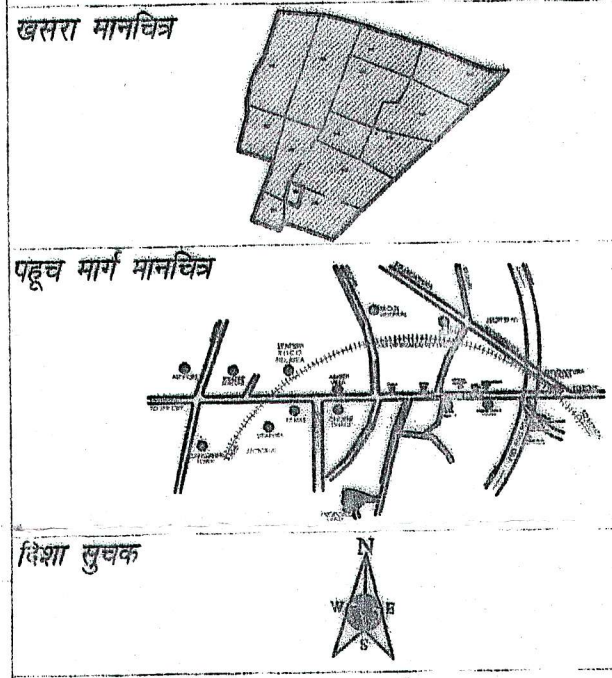
नोट :- 1. पैरा 208-213/N के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क की लवज में रकम रखे
गये। 12.5% मेंमल के समस्त मुखर्ज को रकम मूल किया जाता है।

11/03/2022
(ZONE-14)

D.C.
(ZONE-14)



ज.वि.प्रा.



मास्टर प्लान योजना 2022 के अनुसार नए जमीन
आवकरीय नुकुन की निर्माण विधि :-
1. कुल आवकरीय नुकुन = 80
2. कुल आवकरीय नुकुन = 80
3. आवकरीय नुकुन के नुकुन = C-17 (C-3 TO C-19)
4. आवकरीय नुकुन के नुकुन = C-16 (C-1 TO C-20 TO C-30)

AREA ANALYSIS :-

S.No	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	8353.27	55.14 %
2	RETAIL	153.00	01.01 %
3	FUTURE PLANNING	208.83	01.38 %
(A) TOTAL = 1+2+3		8715.10	57.53 %
4	PARK	760.98	05.02 %
5	FACILITY	352.74	02.33 %
5	H.T. LINE	14.99	0.10 %
6	S.W.M.	50.00	0.33 %
7	MOBILE TOWER	10.00	0.07 %
8	ROAD	5245.75	34.62 %
TOTAL = 4 TO 8		6434.46	42.47 %
SCHEME AREA		15149.56	100.00 %
(B) 1.	KHATEDAR	1316.08	23.29 %
2.	JDA COMM.	1316.08	23.29 %
3.	ZONAL ROAD	3018.28	53.42 %
APPLIED AREA		5650.44	100.00 %
GRAND TOTAL (A+B)		20800.00 SQ.MT.	
		02.08 HECT.	

योजना की तारीख 10/03/2022, अधिनियम की धारा 20(1) की
कार्यवाही एन/नो के तहत की जा रही है।
योजना की पूरी प्रति प्रमाणित रूप में मिलान हो चुकी है।

नाम : जयपुर विकास प्राधिकरण
पता : जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

योजना का नाम :-
PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"GOKUL AURA"

जोन संख्या :- 14
स्केम :- 1:800

सहायक नगर नियोजक : अति.सहायक नगर नियोजक : वरिष्ठ नगर नियोजक



PLAT	NUMBER
RESIDENTIAL	- 80
RETAIL	- S-17
KHATEDAR COMMERCIAL	- C-17
JDA COMMERCIAL	- C-15
PARK	- 01
FACILITY	- 02

ZONAL ROAD 18.0 MT. WIDE

- नोट :-
- राजस्थान ग्राम बस बिलवा तहसील सगानेर जिला जयपुर कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर भूमि की संशोधित 30-ए JDA/ZONE DC-14/D-388 अधिनियम दिनांक 18/12/2021 को की गई है जिसकी प्रति प्रेषित संख्या 1361C पर सलगन है।
 - योजना की भूमि में श.श.स. अधिनियम की धारा 30-ए की कार्यवाही प्रमाणित अधिकारी द्वारा लवज में पर प्रमाणिकरण तहसीलद्वारा किया गया है।
 - प्रस्तावित योजना जयपुर विकास प्राधिकरण बस बिलवा तहसील सगानेर जिला जयपुर द्वारा अनुमोदित योजना हनुमान नगर - ए के समीप स्थित है। अधिनियम की धारा 30-ए के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क 12.5% के अनुसार आन्तरिक विकास योजना 2011 के अनुसार प्रमाणित, जिला उच्चतम न्यायालय प्लानिंग जून-2 के अनुसार श्रु. उपयोग आवकरीय लवज व्यवसायिक प्रमाणित है।
 - योजना का अनुमोदन की.मि.सी. (एल.पी.) की 237 की बैठक दिनांक 15/3/2021 में लिया गया निर्णय अनुसार किया गया है।
 - योजना आन्तरिक हानुमान नगर 2010 के अनुसार जारी किया जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - प्रस्तावित योजना के मुखर्ज पर मैसरीहर्ष जयपुरा विनियम 2020 के अनुसार देय होनी।

A.T.P. (ZONE-14) अति.सहायक नगर नियोजक T.D.R. (ZONE-14) वरिष्ठ नगर नियोजक D.C. (ZONE-14)

CAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.
301-302, Preet Tower,
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,
Lat Kothi Scheme, Jaipur
Ph: 0141-4113111

S.T.P. 15/21
B.P.C. (L.P.-I) B.P.C. (L.P.)

मूल पत्रावली के पैरा 16(1) के अनुसार ख.स. 737/1 अनुमोदित योजना का भाग नहीं है एवं पैरा 16(1) के अनुसार अनुमोदित भवनिका पर स्थापित 9मी. सड़क जो चिन्हीकरण है वो स्थापित नहीं है अतः इस 9मी. सड़क को अनुमोदित भवनिका से विलोपित किया जाता है।

सहायक नगर नियोजक ZONE-14
उपायुक्त ZONE-19



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2179

दिनांक 4/3/2022

मैसर्स हैप्पी रियल स्कवायर एल.एल.पी.,

पता:- 40, श्रीजी एन्क्लेव, जयरामपुरा रोड,

ग्राम नीदंड, जयपुर, राजस्थान।

विषय:-निजी खातेदारी की योजना गोकुल ओरा, ग्राम सवाई जयसिंहपुरा उर्फ बास बीलवा तह. सांगानेर में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त कर अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा ग्राम सवाई जयसिंहपुरा उर्फ बास बीलवा तह. सांगानेर में "गोकुल ओरा" आवासीय योजना में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखे गये भूखण्डों को विकास कार्य पूर्ण कर रहन मुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस क्रम में लेख है कि उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर जविप्रा में रहन रखे गये 12.50 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त कर रहन मुक्ति का अंकन अनुमोदित मानचित्र में कर दिया गया है। अतः अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

8/3/22
उपायुक्त (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।